रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 82] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 22, 2009/ज्येष्ठ 1, 1931
No. 82] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 22, 2009/JYAISTHA 1, 1931

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2009

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (कारबार संव्यवहार हेतु बैठक) विनियम, 2009

(2009 की सं. 3)

सं. आर-40007/6/विनियम-बैठक/अधिसूचना/04-सीसीआई.— भारत का प्रतिस्पर्धा अयोग, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 22 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 64 द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम प्रतिस्पर्धा आयोग (कारबार संव्यवहार हेतु बैठक) विनियम, 2009 है; और

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.—

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अधिनियम'' से प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) अभिप्रेत है ;

(ख) ''अध्यक्ष'' से अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) ''आयोग'' से अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग अभिप्रेत है;

(घ) ''महानिदेशक'' से अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त आयोग का महानिदेशक अभिप्रेत है और इसमें उस धारा के अधीन नियुक्त कोई अपर, संयुक्त, उप या सहायक महानिदेशक भी सम्मिलित है;

(ङ) ''सूचना'' से अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) के खंड (क) में यथानिर्दिष्ट प्रति-प्रतिस्पर्धात्मक करार या प्रधान स्थिति के दुरुपयोग से संबंधित कोई सूचना अभिप्रेत है;

(च) ''सदस्य'' से अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त आयोग का कोई सदस्य अभिप्रेत है और इसमें अध्यक्ष सम्मिलित है;

(छ) अधिनियम के अधीन किए गए आयोग के आदेशों के ''अननुपालन'' में, यथास्थिति, पूर्ण धनीय शास्ति से कम का संदाय या आदेशों का आंशिक अनुपालन सम्मिलित होगा;

(ज) ''प्रतिनिर्देश'' से कोई निम्नलिखित प्रतिनिर्देश अभिप्रेत है :—

(i) अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी कानूनी प्राधिकारी से आयोग को प्राप्त कोई प्रतिनिर्देश, या

(ii) अधिनियम की धारा 21 के अधीन किसी कानूनी प्राधिकारी से प्राप्त या राय के लिए आयोग को प्राप्त कोई प्रतिनिर्देश, या

(iii) अधिनियम की धारा 21क के अधीन आयोग द्वारा किसी कानूनी प्राधिकारी को राय के लिए भेजा गया कोई प्रतिनिर्देश, या

(iv) अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से राय के लिए आयोग को प्राप्त कोई प्रतिनिर्देश ;

(झ) "सचिव" से अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सचिव अभिप्रेत है और इसमें सचिव के रूप में कार्य करने के लिए अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत आयोग का कोई अधिकारी सम्मिलित है ;

(ञ) आयोग के नई दिल्ली स्थित कार्यालय या किसी अन्य कार्यालय के "कार्य दिवस" से ऐसा दिवस अभिप्रेत है, जिसको वह कृत्य करता है किन्तु इसमें शनिवार या रविवार या ऐसा कोई अन्य दिवस सम्मिलित नहीं है, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा, यथास्थिति, नई दिल्ली के लिए या ऐसे किसी अन्य स्थान के लिए परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) के अधीन लोक अवकाश के रूप में घोषित किया गया है ;

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त ऐसे शब्दों और पदों का, जो परिभाषित नहीं है क्रमशः वही अर्थ होगा, जो उनका, यथास्थिति, अधिनियम या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में है ।

3. कारबार संव्यवहार के लिए बैठकें और उनके लिए प्रक्रिया.-

(1) आयोग ऐसी संख्या में और ऐसे स्थानों पर बैठकों का आयोजन कर सकेगा जो अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित हों ;

(2) सामान्यतः आयोग की बैठकों का आयोजन नई दिल्ली स्थित इसके प्रधान कार्यालय में किया जाएगा :

परंतु यह कि जब कभी आयोग की राय में ऐसा करना समीचीन हो, आयोग अपने अन्य कार्यालयों या भारत के किसी अन्य स्थान पर भी बैठकों का आयोजन कर सकेगा ।

(3) आयोग निम्नलिखित किस्म की बैठकों का आयोजन कर सकेगा,-

(क) अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के अनुसार आयोग द्वारा की जाने वाली कानूनी जांच या अन्वेषण या अन्य कार्यवाही से संबंधित सामान्य बैठकें ; और

(ख) सामान्य बैठक के अंतर्गत न आने वाले अन्य सभी कृत्यों से संबंधित विशेष बैठकें ।

(4) अध्यक्ष, अग्रिम में आयोग की प्रत्येक बैठक की तारीख, समय और स्थान तथा कार्यसूची का विनिश्चय करेगा :

परंतु यह कि किसी सामान्य बैठक की कार्यसूची में सम्मिलित नहीं की गई किसी मद को आवेदक द्वारा लिखित में दर्शित और अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित अत्यावश्यकता के आधारों पर विचार में लिया जा सकेगा ।

(5) सामान्य बैठकों के लिए प्रक्रिया, -

(क) जब तक कि आयोग द्वारा किसी विशिष्ट मामले में उसे विस्तारित करने का विनिश्चय न किया जाए, किसी सामान्य बैठक का बैठक समय सामान्यतः प्रातः 10: 30 से दोपहर 1: 00 तक और दोपहर 2: 30 से सांय 4: 30 तक होगा ;

(ख) अधिनियम की धारा 35 के अधीन रहते हुए सचिव और ऐसे अन्य अधिकारी तथा अध्यक्ष द्वारा अनुमति प्राप्त व्यक्ति किसी सामान्य बैठक में उपस्थित होंगे ;

(ग) उपविनियम (4) के अधीन रहते हुए, प्रत्येक सामान्य बैठक की अवधि वह होगी जैसा कि अध्यक्ष द्वारा निदेश दिया जाएगा । कार्यवाही से संबंधित प्रत्येक पक्षकार को अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए ऐसा अवसर प्रदान किया जाएगा जिसे आयोग द्वारा उपयुक्त समझा जाए । आयोग किसी पक्षकार को लिखित प्रस्तुतीकरण फाइल करने का निदेश दे सकेगा, जिन पर कार्यवाही के अन्य पक्षकारों द्वारा दिए गए उनके उत्तरों के साथ विचार किया जाएगा । आयोग, यदि वह आवश्यक समझता है तो किसी पक्षकार को पृथक रूप से मौखिक सुनवाई का अवसर भी प्रदान कर सकेगा ;

(घ) आयोग लिखित में कारणों को लेखबद्ध करके बैठकों को अवस्थगित कर सकेगा ;

(ङ) किसी भी कारण से किसी बैठक में उपस्थित होने के लिए असमर्थ कोई सदस्य, यदि साध्य हो तो वीडियो-कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उक्त बैठक में भाग लेने का चयन कर सकता है और इसे बैठक के दौरान मत डालने के प्रयोजनों के लिए सदस्य की उपस्थिति के रूप में माना जाएगा ।

(च) उपविनियम (4) के अधीन रहते हुए, आयोग यथाव्यवहार्य रूप में, प्रत्येक मास में एक बार सामान्य बैठक का आयोजन करेगा, उक्त बैठक में उसके आदेशों के अनुपालन का पुनर्विलोकन सम्मिलित होगा और सचिव अननुपालन के सभी मामलों को, यथास्थिति, आयोग की जानकारी या अनुवर्ती आदेशों के लिए रिपोर्ट करेगा ;

(छ) आयोग की प्रत्येक सामान्य बैठक की कार्यवाहियों को सचिव या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के अधीक्षण और मार्गदर्शन के अधीन रिकार्ड किया जाएगा । किसी सामान्य बैठक के दौरान लिए गए प्रत्येक मामले के कार्यवृत्त को किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए सतत् क्रम संख्यांक दिया जाएगा ।

(6) विशेष बैठकों के लिए प्रक्रिया, -

(क) आयोग की सभी विशेष बैठकों में सचिव और अध्यक्ष द्वारा निदिष्ट अन्य अधिकारी उपस्थित होंगे ;

(ख) अधिनियम और इन विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सचिव यथासाध्य रूप से, अग्रिम में सदस्यों और अन्य संबंधित अधिकारियों को आयोग की प्रत्येक बैठक की तारीख, समय और स्थान तथा कार्यसूची अधिसूचित करेगा ;

(ग) सभी विशेष बैठकों के लिए सचिव,-

(i) आयोग की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त तैयार करने और लेखबद्ध करने की व्यवस्था करेगा और अध्यक्ष का अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् उसे सदस्यों, महानिदेशक और ज्येष्ठ अधिकारियों में परिचालित करेगा । ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त को किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए सतत् क्रम संख्यांक दिया जाएगा ;

(ii) कार्यसूची की प्रत्येक मद पर किए गए विनिश्चयों की संसूचना सभी संबंधित व्यक्तियों को देगा और अगली बैठक में आयोग को की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(घ) किसी भी कारण से किसी बैठक में उपस्थित होने के लिए असमर्थ कोई सदस्य, यदि साध्य हो तो वीडियो-कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उक्त बैठक में भाग लेने का चयन कर सकता है और इसे बैठक के दौरान मत डालने के प्रयोजनों के लिए सदस्य की उपस्थिति के रूप में माना जाएगा ।

(ङ) अध्यक्ष, बिना किसी पूर्व सूचना के, किसी भी समय किसी ऐसी मद पर, जिस पर उसकी राय में अत्यावश्यक रूप से विचार करना अपेक्षित है, विचार करने के लिए विशेष बैठक बुला सकेगा ;

(च) अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से, आयोग का कानूनी अनुमोदन अपेक्षित करने वाले मामलों से भिन्न किसी मामले पर परिचालन करके फाइल पर विनिश्चय किया जा सकेगा ।

(7) उपविनियम (1) में की किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयोग अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (3) के अनुपालन में प्रतिस्पर्धा समर्थन, जन जागरूकता और प्रतिस्पर्धा मुद्दों के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करने का संवर्धन करने के लिए प्रत्येक मास कम-से-कम एक बैठक करेगा और सचिव इन विनियमों के अनुसार उनसे संबंधित विषयों को इस बैठक में रखेगा ।

4. कतिपय परिस्थितियों में प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति. -

ऐसी किसी परिस्थिति में, जिसके लिए इन विनियमों में उपबंध नहीं किया गया है, आयोग लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से किसी विशिष्ट मामले में, प्रक्रिया अवधारित कर सकेगा ।

5. प्रक्रिया में किसी अनियमितता का प्रभाव. -

आयोग की कोई भी कार्रवाई या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि आयोग की प्रक्रिया में ऐसी कोई अनियमितता है, जो मामले के गुणों को प्रभावित नहीं करती है ।

6. संदेहों का निवारण. -

इन विनियमों के किन्हीं उपबंधों के कार्यान्वयन के मामले में किसी संदेह या विवाद की दशा में, आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

एस. एल. बंकर, सचिव

[विज्ञापन III/4/187-एम/09-असा.]

THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2009

The Competition Commission of India (Meeting for Transaction of Business) Regulations, 2009 (No. 3 of 2009)

No. R-40007/6/Reg-Meeting/Noti./04-CCI.—In exercise of the powers conferred by section 64 read with sub-section (*1*) of section 22 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Competition Commission of India hereby makes the following regulations, namely: –

1. Short title and commencement. –

(*1*) These regulations may be called the Competition Commission of India (Meeting for Transaction of Business) Regulations, 2009.

(*2*) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. –

(*1*) In these regulations, unless the context otherwise requires, –

(*a*) "Act" means the Competition Act, 2002 (12 of 2003);

(*b*) "Chairperson" means the Chairperson of the Commission appointed under sub-section (1) of section 8 of the Act;

(*c*) "Commission" means the Competition Commission of India established under sub-section (1) of section 7 of the Act;

(*d*) "Director General" means the Director General appointed under sub-section (1) of section 16 of the Act and includes any Additional, Joint, Deputy or Assistant Directors General appointed under that section;

(*e*) "information" means an information related to any anti-competitive agreement or abuse of dominant position as referred to in clause (a) of sub-section (*1*) of section 19 of the Act;

(*f*) "Member" means a Member of the Commission appointed under sub-section (1) of section 8 of the Act and includes the Chairperson;

(*g*) "non-compliance", of orders of the Commission shall also include less than full payment of monetary penalty or partial compliance of orders, as the case may be;

(*h*) "reference" means a reference–

(*i*) received in the Commission from the Central Government or a State Government or a statutory authority under clause (b) of sub-section (1) of section 19 of the Act, or

(*ii*) received in the Commission from a statutory authority under section 21 of the Act for opinion, or

(*iii*) sent to a statutory authority for opinion by the Commission under section 21A of the Act, or

(*iv*) received in the Commission from the Central Government or a State Government for opinion under sub-section (1) of section 49 of the Act.

(*i*) "Secretary" means the Secretary appointed under sub-section (1) of section 17 of the Act and includes an officer of the Commission authorized by the Chairperson to function as Secretary;

(*j*) "working day" for the office of the Commission at New Delhi or any other office of the Commission means the day on which it functions but does not include Saturday or Sunday or any other day which is declared to be a public holiday by the Central Government under the Negotiable Instruments Act, 1881 (26 of 1881) for New Delhi or for such other place, as the case may be.

(*2*) Words and expressions used but not defined in these regulations shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act or in the Companies Act, 1956 (1 of 1956), as the case may be.

3. Meetings for transaction of business and their procedure. –

(*1*) The Commission may hold as many meetings and at such places as may be required for the purpose of discharging its functions under the Act.

(*2*) The meetings of the Commission shall ordinarily be held at its head office situated in New Delhi:

Provided that the Commission may also hold meetings at its other offices or at any other place in India, whenever, in the opinion of the Commission, it is expedient to do so.

(*3*) The Commission may conduct the following types of meetings, –

(*a*) ordinary meetings relating to a statutory inquiry or investigation, or other proceeding, to be conducted by the Commission, as per provisions of the Act, or the rules or regulations made thereunder; and

(*b*) special meetings relating to all other functions not covered by the ordinary meeting.

(*4*) The Chairperson shall decide in advance, the date, time and place and the agenda for each meeting of the Commission:

Provided that an item not included in the agenda of an ordinary meeting may be taken up for consideration, on grounds of urgency shown by an applicant in writing, with the approval of the Chairperson.

(*5*) Procedure for ordinary meetings, –

(*a*) the meeting hours of an ordinary meeting shall normally be from 10.30 AM to 1.00 PM and from 2.30PM to 4.30 PM, unless the Commission decides to extend the same in a particular matter;

(*b*) subject to section 35 of the Act, the Secretary and such other officers and persons as permitted by the Chairperson shall attend an ordinary meeting;

(*c*) subject to sub-regulation (*4*), the duration of each ordinary meeting shall be as directed by the Chairperson. Each party to the proceeding may be granted such opportunity to present its case as deemed appropriate by the Commission. The Commission may direct any party to file written

submissions, which shall be considered along with replies thereto of the other parties to the proceeding. The Commission may also grant oral hearing to any party if it deems necessary;

(*d*) the Commission may, for reasons to be recorded in writing, adjourn the meeting;

(*e*) any Member unable to be present in a meeting for any reason, may if feasible, choose to participate in the said meeting, through video conferencing and this shall be considered as attendance by the Member for the purpose of casting vote during the meeting;

(*f*) subject to sub-regulation (4), the Commission shall hold, as far as practicable, an ordinary meeting once every month to review compliance of its orders and the Secretary shall report all matters of non-compliance for information or for further orders of the Commission, as the case may be;

(*g*) the proceedings of each ordinary meeting of the Commission shall be recorded under the superintendence and guidance of the Secretary or by any other officer authorized by the Chairperson. The minutes of each matter taken up during an ordinary meeting shall be given continuous serial number for a particular financial year.

(6) Procedure for special meetings, –

(*a*) all special meetings of the Commission shall be attended by the Secretary and such other officers as directed by the Chairperson;

(*b*) subject to the provisions of the Act and these regulations, the Secretary shall notify the date, time and place and the agenda for each meeting of the Commission to the Members and other concerned officers, as far as practicable, in advance;

(*c*) the Secretary, for all special meetings, shall –

(*i*) arrange to prepare and record the minutes of every meeting of the Commission and after obtaining the approval of the Chairperson circulate them amongst the Members, the Director General and the senior officers. The minutes of such meetings shall be given a continuous serial number for a particular financial year;

(*ii*) communicate the decisions taken on each item of the agenda to all concerned for compliance of the orders and shall report action taken in the next meeting;

(*d*) any Member unable to be present in a meeting for any reason, may if feasible, choose to participate in the said meeting, through video conferencing and this shall be considered as attendance by the Member for the purpose of casting vote during the meeting;

(*e*) the Chairperson may, without prior notice, convene a special meeting at any time to consider any item, which in his opinion requires urgent consideration;

(*f*) any matter to be considered in a special meeting, other than those requiring statutory approval of the Commission, may, with prior approval of the Chairperson, be decided on file by circulation.

(7) Without prejudice to sub-regulation (*1*), the Commission shall have at least one meeting every month for the promotion of competition advocacy, public awareness and imparting training about competition issues in compliance to sub-section (*3*) of section 49 of the Act.

4. Power to regulate procedure in certain circumstances. –

In a situation not provided for in these regulations, the Commission may, for reasons to be recorded in writing, determine the procedure in a particular case.

5. Effect of any irregularity of procedure. –

No act or proceedings of the Commission shall be invalid merely by reason of any irregularity in the procedure of the Commission not affecting the merits of the case.

6. Removal of difficulty. –

In the matter of implementation of these regulations, if any doubt or difficulty arises, the same shall be placed before the Commission and the decision of the Commission thereon shall be final.

S. L. BUNKER, Secy.

[ADVT III/4/187-M/09-Exty.]

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.